

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No. L40101DL1989GOI038121



उत्तरी क्षेत्र-1, मुख्यालय, एस. सी. ओ. वे. स. 5-10, सेक्टर 16-ए, फरीदाबाद-121002-(हरियाणा)
Northern Region-1 Headquarters, Bay No. SCO - 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002 Phone No.0129-2666303

Ref:POWERGRID/NR-I/RTI/1828/

Dt .01.01.2020

सेवा में,

श्री नंदलाल जोशी
पुत्र स्व. श्री दयाराम जोशी, ग्राम व पोस्ट बेरनी,
पट्टी-कुंजणी, जिला- टि. ग. मोबाईल न. 9557285415

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2019 के संदर्भ में।

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2019 जो कि पावरग्रिड के कोटेश्वर कार्यालय में दिनांक 17.12.2019 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु संख्या	बिंदु	बिंदुवार सूचना
1.	स्व. श्री भवानी दत्त जी का मकान पावरग्रिड द्वारा तोड़ने से किन-किन लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुये थे नामों की छाया प्रति ।	765 के. वी. कोटेश्वर मेरठ प्रथम लाइन मे टावर लोकेशन संख्या 49 व 50 के मध्य लाइन आने वाले स्व. श्री भवानी दत्त पुत्र स्व. श्री घनश्याम जी के मकान को तोड़ने से कोई भी खेत क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है ।
2.	स्व. श्री भवानी दत्त जी का मकान पावरग्रिड द्वारा तोड़े जाने से कितने लोगों को पावरग्रिड द्वारा मुआवजा दिया गया है और कितना -कितना दिया गया है । बैंक स्टेटमेंट एवं नाम की छाया प्रति ।	पावरग्रिड द्वारा मकान तोड़े जाने से सम्बंधित कोई मुआवजा किसी को नहीं दिया ।
3.	किन-किन खेतों को मुआवजा दिया गया और खेत संख्या या खेत नम्बर की छाया प्रति ।	पावरग्रिड द्वारा मकान तोड़े जाने से सम्बंधित कोई मुआवजा किसी को नहीं दिया ।
4.	ग्राम बेरनी के जो लोग मुआवजा के हकदार है पटवारी द्वारा किये गये सत्यापित नाम एवं खेत न. की छाया प्रति ।	मांगी गई जानकारी आर. टी. आई अधिनियम 2005 के नियम 8(1) (g) & (j) के तहत नहीं दी जा सकती ।
5.	पावरग्रिड के द्वारा स्व. श्री भवानी दत्त जी का मकान तोड़े जाने के समय जो भी कार्य वहाँ पावरग्रिड ने करवाये है । ठेकेदार ने कोई भी कार्य सही से नहीं किया है उसकी पुनः जाँच की जाये ।	765 के. वी. कोटेश्वर मेरठ प्रथम लाइन मे टावर लोकेशन संख्या 49 व 50 के मध्य किया गया भूमि-कटान कार्य संतोषजनक हैं, अतः पुनः जांच की जरूरत नहीं है ।


6	पाँवरग्रिड ने किस ठेकेदार को स्व. श्री भवानी दत्त जी का मकान तोड़ने का कार्य दिया गया था ठेकेदार का नाम व पता की छाया प्रति ।	पावरग्रिड ने किसी ठेकेदार को कोई भी मकान तोड़ने का कार्य नहीं दिया है ।
7.	ग्राम बेरनी पावरग्रिड की 765 के. वी. कोटेश्वर मेरठ प्रथम लाईन टावर संख्या 49 व 50 के माध्य स्व. श्री भवानी दत्त जी का मकान तोड़ने के लिये कितने लाख धनराशी पावरग्रिड द्वारा ठेकेदार को दिये गये है बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति ।	मकान तोड़ने के लिए किसी को कोई धनराशी नहीं दी गयी ।
8.	टावर संख्या 49 व 50 के माध्य जो भी कार्य ठेकेदार ने किया है उसकी बिल, बाउचर एवं एम. बी. की छाया प्रति ।	पावरग्रिड द्वारा भूमि-कटान का कार्य कराया गया है बिल व AB की प्रति संलग्न है ।
9	जिन लोगों के खेत से ठेकेदार कटिंग करने के लिये मशीन ले के गये है उन खेतों के मुआवजा की छाया प्रति ।	भूमि-कटान कार्य हेतु साईट पर ठेकेदार द्वारा मशीन लाने के लिये किसी भी मुआवजे की जानकारी पावरग्रिड में उपलब्ध नहीं है ।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

Shri D.K.Singh, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Ltd., NR-IHQ, SCO Bay No.5-10, Sector-16A,
Faridabad (Haryana)-121002, Phone No.0129-2666301

कृप्या इसकी पावती भेंजे ।
धन्यवाद ।

भवदीय



[आर. नागपाल]

मुख्य महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

Copy to: NIO: Shri U.C.Chaudhary: for information and records, please.
Chief GM (Vigilance), NR-I: for information, please.